

प्रश्नक

श्री प्रकाश गुप्त,
संयुक्त शिक्षक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा

शिक्षा
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकतक: दिनांक: 16 सितम्बर, 2004

विषय:-

अं सन पब्लिक स्कूल दिल्ली मेरठ रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद को सी०बी०
एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय जो **सी०बी०एस०ई०** नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1.11 विद्यालय की प्रवीणत सौतापटी का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 1.21 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.35 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदाती बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद/केसिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.41 अथवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ज से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सहाय्य हो जायेगें ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शि्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कप वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० एवं दिनांक तैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~लखनऊ~~ मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~के. एन. पब्लिक स्कूल~~ दिल्ली ब्लेक मेरठ रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा के

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।